विधान सभा

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

LEGISLATIVE ASSEMBLY
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विशेषाधिकार समिति

COMMITTEE ON PRIVILEGES

छठी विधान सभा का चौथा प्रतिवेदन

FOURTH REPORT OF THE SIXTH ASSEMBLY

18.1.2017 को प्रस्तुत

PRESENTED ON 18.1.2017

विषय–सूची

1. समिति की संरचना पृष्ठ सं0 1

2. आमुख पृष्ठ सं0 2

3. समिति का प्रतिवेदन पृष्ठ सं0 3

समिति की संरचना

1.	श्री सोमनाथ भारती	सभापति
2.	श्री अखिलेश पति त्रिपाठी	सदस्य
3.	श्री अनिल बाजपेयी	सदस्य
4.	श्री गिरीश सोनी	सदस्य
5.	श्री महेन्द्र गोयल	सदस्य
6.	श्रीमती प्रमिला टोकस	सदस्य
7.	श्री रघुवेंद्र शौकीन	सदस्य
8.	श्री राजेंद्र पाल गौतम	सदस्य
9.	श्री राजू धिंगान	सदस्य

सचिवालय

1.	श्री प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा	सचिव
2.	श्री सी वेलमुरुगन	उप सचिव

आमुख

मैं, विशेषाधिकार समिति का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से तत्कालीन संसद सदस्य (राज्यसभा) श्री के.सी त्यागी द्वारा माननीय नेता विपक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता के विरुद्ध की गई शिकायत के प्रकरण में प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के लिए अधिकृत किए जाने पर यह प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

इस प्रकरण पर समिति की दिनांक 26.7.2016, 5.12.2016, व 9.12.2016 को हुई बैठकों में विचार किया गया। समिति ने दिनांक 17.1.2017 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन को स्वीकार किया।

समिति विधानसभा सचिवालय स्टाफ द्वारा अपनी बैठकों के दौरान एवं प्रतिवेदन तैयार करने में प्रदान की गई बहुमूल्य सहायता के लिए उनके प्रति अपनी प्रशंसा को रिकॉर्ड पर लाना चाहती है।

(सोमनाथ भारती)
सभापति
विशेषाधिकार समिति

दिल्ली
17 जनवरी, 2017

प्रतिवेदन

दिनांक 22.1.2016 को पंजाब केसरी में प्रकाशित "राज्य सभा को समाप्त किया जाए" शीर्षक के एक हस्ताक्षरित लेख में दिल्ली विधान सभा में माननीय नेता विपक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता ने राज्यसभा की कार्यप्रणाली पर अपने विचार व्यक्त करते हुए राज्य सभा को समाप्त किए जाने की वकालत की थी (परिशिष्ट–ए) ।

लेख की विषयवस्तु पर रोष प्रकट करते हुए तत्कालीन राज्यसभा सदस्य श्री के.सी. त्यागी ने राज्यसभा के माननीय सभापति को अपने पत्र दिनांक 28.1.2016 के द्वारा एक विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना का नोटिस दिया (परिशिष्ट–बी)। राज्यसभा के माननीय सभापति ने नोटिस पर विचार करते हुए कहा कि *"प्रथमदृष्टया यह विशेषाधिकार का मामला प्रतीत होता है"* (परिशिष्ट–सी)। माननीय अध्यक्ष ने तदनुसार दिनांक 22.2.2016 को यह प्रकरण विशेषाधिकार समिति को भेज दिया।

समिति ने इस पर श्री विजेन्द्र गुप्ता की टिप्पणी मांगी। श्री गुप्ता ने उत्तर देने के लिए दो बार अतिरिक्त समय की मांग की, जोकि उन्हें समिति के द्वारा दोनों ही बार प्रदान किया गया। श्री गुप्ता ने अंततः अपना उत्तर दिनांक 21.4.2016 को दिया (परिशिष्ट डी)। अपने उत्तर में श्री गुप्ता ने लेख में व्यक्त अपने विचारों को उचित ठहराया और नोटिस में स्वयं पर लगाए आरोपों से इनकार किया। उन्होंने कहा कि श्री के.सी. त्यागी द्वारा दिया गया नोटिस भ्रम पर आधारित एवं अस्पष्ट है। हालांकि, यदि श्री के.सी. त्यागी आहत हुए हों तो उनके प्रति उन्होंने खेद प्रकट किया।

समिति ने इस समस्त मुद्दे पर श्री के.सी. त्यागी के विचार जानना उचित समझा। श्री गुप्ता के उत्तर की एक प्रति श्री त्यागी को इस अनुरोध के साथ उपलब्ध कराई गई कि वे समिति की बैठक में उपस्थित हों। श्री त्यागी ने हालांकि प्रारंभ में इसके लिए सहमति दे दी, किंतु बाद में कुछ पूर्व निर्धारित प्रतिबद्धताओं के कारण उपस्थित होने में असमर्थता व्यक्त की।

राज्यसभा के माननीय सभापति ने अपने पत्र दिनांक 12.8.2016 (परिशिष्ट–ई) मे माध्यम से माननीय अध्यक्ष महोदय को सूचित किया कि श्री विजेन्द्र गुप्ता ने अपने पत्र दिनांक 1.8.2016 (परिशिष्ट–एफ) के द्वारा इस प्रकरण में बिना शर्त माफी मांग ली है और उसे स्वीकार भी कर लिया गया है।

क्योंकि यह प्रकरण पहले ही विशेषाधिकार समिति को भेजा जा चुका था अतः माननीय अध्यक्ष महोदय ने उक्त पत्र को समिति के विचारार्थ भेज दिया ताकि प्रकरण को उसकी तार्किक परिणिति तक पहुंचाया जा सके।

श्री विजेन्द्र गुप्ता को समिति के समक्ष 5.12.2016 को उपस्थित होने के लिए कहा गया। बैठक वाले दिन श्री गुप्ता स्वयं तो उपस्थित नहीं हुए बल्कि बिना किसी पूर्व सूचना व पूर्व अनुमति के चार वकीलों ने समिति के समक्ष पक्ष रखने की इच्छा प्रकट की। वकीलों को बता दिया गया कि वे श्री गुप्ता की सहायता कर सकते हैं बशर्तें श्री गुप्ता भी व्यक्तिगत रूपसे उपस्थित हों। बैठक को दिनांक 9.12. 2016 के लिए स्थगित कर दिया गया।

दिनांक 9.12.2016 को समिति के समक्ष अपने बयान में श्री गुप्ता ने कहा कि उन्होंने राज्यसभा के माननीय सभापति के समक्ष बिना शर्त माफी मांग ली है अतः समिति को इसमें कोई और कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। राज्यसभा के माननीय सभापति के पत्र को उद्धृत करते हुए उन्होंने विशेषाधिकार समिति (1954) की संयुक्त बैठक के प्रतिवेदन के अनुच्छेद (8) की ओर ध्यान आकर्षित किया जिसमें

यह संस्तुति की गई है कि जिस सदन में विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया गया हो उसके पीठासीन अधिकारी अथवा जहां विशेषाधिकार का संदर्भ भेजा गया हो उस सदन के पीठासीन अधिकारी के समक्ष बिना शर्त माफी मांग लेने के बाद कोई और कार्रवाई न की जाए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता को सूचित किया गया कि समिति इस संस्तुति से अवगत है। समिति ने स्पष्ट किया कि वर्तमान संदर्भ में यह प्रकरण समिति को भेजा जा चुका है और अब केवल समिति ही इसे किसी तार्किक परिणिति तक ले जा सकती है। उन्हें यह भी बताया गया कि समिति को कुछ स्पष्टीकरण चाहिए जिनके लिए उन्हें समिति के समक्ष बुलाया गया था।

श्री गुप्ता का ध्यान इस तथ्य की ओर भी दिलाया गया कि माननीय सभापति ने अपने पत्र दिनांक 12.8.2016 में अन्य बातों के साथ यह कहा है कि *"श्री गुप्ता ने यह भी कहा है कि दिल्ली विधानसभा सचिवालय को दी अपनी टिप्पणी दिनांक 21 अप्रेल 2016 में इस प्रकरण में उनकी माफी भी है।"* उन्हें बताया गया कि जहां श्री गुप्ता ने राज्यसभा के माननीय सभापति को लिखे अपने पत्र दिनांक 21.4.2016 में बिना शर्त माफी मांगी है वहीं दिनांक 21.4.2016 के समिति को दिए उनके पत्र में कोई माफी नहीं है, बल्कि उन्होंने आरोपों को नकारा है और अपने लेख को उचित ठहराया है। श्री गुप्ता ने कहा कि समिति को दिए अपने पत्र दिनांक 21.4.2016 में भी उन्होंने माफी मांगी थी। उनके पत्र से ही उद्धृत करते हुए श्री गुप्ता को बताया गया कि उन्होंने "खेद प्रकट किया था", माफी नहीं मांगी थी। श्री गुप्ता और उनके वकीलों का मत था कि "माफी" और "खेद" पर्यायवाची हैं। श्री गुप्ता को समिति की ओर से बताया गया कि ये दोनों शब्द पर्यायवाची नहीं हैं और खेद प्रकट करने व माफी मांगने में अंतर है। साथ ही, श्री गुप्ता ने अपना खेद श्री त्यागी के प्रति प्रकट किया है, सदन अथवा उसके सदस्यों के प्रति नहीं।

समिति ने यह जानना चाहा कि क्या श्री गुप्ता अभी भी अपने उस पत्र पर कायम हैं जिसमें उन्होंने अपने लेख को उचित ठहराया है या फिर राज्यसभा के माननीय सभापति को प्रस्तुत अपनी बिना शर्त माफी को मानते हैं, क्योंकि ये दोनों ही परस्पर विरोधी हैं। श्री विजेन्द्र गुप्ता ने कहा कि उन्होंने राज्यसभा के सभापति के समक्ष बिना शर्त माफी मांगी है और समिति के समक्ष भी वे उन्हीं भावनाओं के साथ उपस्थित हुए हैं। उन्होंने राज्यसभा के माननीय सभापति को लिखे अपने पत्र में से निम्नलिखित उद्धरण को पढ़ा *"यदि पंजाब केसरी में प्रकाशित मेरे लेख के किसी भी अंश से माननीय सदस्यों के संवेदनाओं को ठेस पहुंची है अथवा यह उच्च सदन की गरिमा पर प्रश्न उठाता प्रतीत होता है तो मैं इसके लिए अपनी ओर से बिनाशर्त माफी मांगता हूं। मैं पुनः कहना चाहता हूं कि माननीय राज्यसभा के सदस्यों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं था।"* इसके बाद श्री गुप्ता ने समिति को आश्वस्त किया कि वे समिति के समक्ष उन्हीं भावनाओं के साथ उपस्थित हुए हैं जो उन्होंने राज्यसभा के माननीय सभापति को लिखे अपने पत्र में व्यक्त की थीं, और उन्हें समिति के समक्ष भी बिना शर्त माफी मांगने में कोई आपत्ति नहीं है।

निष्कर्ष :

समिति कार्यपद्धति एवं प्रक्रिया संबंधी कुछ बिंदुओं को स्पष्ट करना चाहती है जिन पर श्री विजेन्द्र गुप्ता ने आपत्ति उठाई है ताकि कोई भ्रम की स्थिति न रहे।

1. श्री विजेन्द्र गुप्ता ने इस तथ्य पर आपत्ति प्रकट की कि राज्यसभा के माननीय सभापति द्वारा उनकी बिना शर्त माफी को स्वीकार कर लिए जाने के बावजूद समिति ने उन्हें अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा। माननीय अध्यक्ष महोदय को लिखे अपने पत्र में उन्होंने इस बात

पर आश्चर्य और अफसोस प्रकट किया कि उन्हें जारी किए गए पत्र में राज्यसभा के माननीय सभापति की व्यवस्था को न मानते हुए उनको समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा गया है। उन्होंने अनुरोध किया कि यह प्रकरण तत्काल बंद कर दिया जाए।

इसके उत्तर में श्री गुप्ता को सूचित किया गया कि माननीय अध्यक्ष महोदय के सचिवालय ने सुविचारित रूप से राज्यसभा के माननीय सभापति के श्री गुप्ता की माफी को स्वीकार करने वाले पत्र को समिति को भेजा था क्योंकि समिति को प्रकरण पहले ही भेज दिया गया था और केवल वही इस प्रकरण को किसी तार्किक परिणिति तक ले जा सकती थी और इस स्थिति में समिति के कार्यकलाप में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होता। उन्हें यह भी बताया गया कि इससे पहले कि विशेषाधिकार समिति नियमों/प्रक्रियाओं/दृष्टांतों के आधार पर किसी निर्णय पर पहुंचती, वे समिति के समक्ष खुलकर अपने विचार रख सकते थे। माननीय अध्यक्ष महोदय का यह दृढ़ मत था कि समिति को उसके समक्ष प्रस्तुत प्रमाणों, जिसमें समिति को दिया उनका उत्तर एवं राज्यसभा के माननीय सभापति द्वारा उनकी माफी को स्वीकार किए जाने वाला पत्र भी सम्मिलित था, को आधार बनाते हुए अपने स्वयं के निर्णय पर पहुंचना चाहिए।

2. श्री विजेन्द्र गुप्ता ने जानबूझकर या अनजाने में यह दावा किया कि राज्यसभा के माननीय सभापति ने यह व्यवस्था दी है कि इस प्रकरण को समाप्त कर दिया जाए, जो सही नहीं था। राज्यसभा के माननीय सभापति ने स्थापित संसदीय सिद्धांतों, प्रक्रियाओं व चलन को बनाए रखते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय को केवल सूचित किया था कि उन्होंने श्री विजेन्द्र गुप्ता की माफी को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त विशेषाधिकार समिति (1954) के प्रतिवेदन के अनुच्छेद 8 का संदर्भ भी दिया जिसमें कहा गया है, "8. समिति की यह मंशा है कि यदि आरोपित सदस्य, अधिकारी अथवा सेवक उस सदन के पीठासीन अधिकारी के समक्ष जहां विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया गया है अथवा उस सदन के पीठासीन अधिकारी के समक्ष जहां विशेषाधिकार का प्रश्न बना है, बिना शर्त माफी मांग लेता है तो ऐसी माफी मांगी मांगे जाने के बाद कोई और कार्रवाई न की जाए"। हालांकि उन्होंने इस संबंध में कोई भी व्यवस्था या निर्देश नहीं दिया, जो उचित भी था।
3. राज्यसभा के माननीय सभापति द्वारा उनकी बिना शर्त माफी को स्वीकार किए जाने के बावजूद समिति द्वारा श्री गुप्ता को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए कहने के पीछे कारण मूलतः यह तथ्य था कि यह प्रकरण पहले ही समिति को भेजा जा चुका था और यह भी कि श्री गुप्ता ने कभी भी सदन/समिति से माफी नहीं मांगी थी जैसा कि उन्होंने राज्यसभा के माननीय सभापति को लिखे अपने पत्र में मिथ्या दावा किया था। समिति को दिए अपने उत्तर में उन्होंने केवल यह उल्लेख किया था कि "फिर भी, यदि इससे अनजाने में श्री के.सी. त्यागी की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मुझे इस बात के लिए खेद प्रकट करने में कोई हिचक नहीं है कि वे आहत हुए हैं।"

समिति की बैठक में उनके दावे से उलट "खेद" और "माफी" पर्यायवाची नहीं कहे जा सकते। जहां "माफी" अपनी भूल की स्वीकारोक्ति है वहीं खेद अपनी किसी भूल को स्वीकार किए बिना केवल उस मंशा की अभिव्यक्ति है कि ऐसा न हुआ होता तो ठीक था। यह तथ्य कि श्री गुप्ता ने राज्यसभा के माननीय सभापति के समक्ष बिना शर्त माफी मांगी और "खेद" प्रकट नहीं किया दर्शाता है कि श्री गुप्ता इन दोनों शब्दों के अंतर से भलीभांति अवगत हैं। समिति की राय है कि जब उस सदन की समिति के समक्ष कार्यवाही की बात आती है जहां वे नेता विपक्ष हैं, तो फिर श्री गुप्ता लचर तर्कों की ओट में बचते नजर आते हैं। समिति के समक्ष चल रही कार्यवाही के संदर्भ में श्री

गुप्ता का यह दावा कि "खेद" और "माफी" पर्यायवाची शब्द हैं समिति द्वारा स्वीकार्य नहीं माना गया।

4. दिनांक 5.12.2016 के लिए निर्धारित समिति की बैठक में बिना किसी पूर्वसूचना या समिति की स्वीकृति के चार वकील श्री विजेन्द्र गुप्ता की ओर से समिति के समक्ष उपस्थित हुए। वकीलों का मत था कि कार्य प्रक्रिया के नियम 220 के अनुसार वे श्री गुप्ता की ओर से उपस्थित हो सकते हैं। कार्यप्रक्रिया के नियमों के नियम 220 में कहा गया है कि :

"220. विशेषाधिकार समिति द्वारा प्रश्नों का परीक्षण व इसकी प्रकिया"

(1) विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट होने पर उस व्यक्ति को, जिसके विरूद्ध शिकायत की गई है, सचिव द्वारा शिकायत की एक प्रति इस अनुरोध के साथ भेज दी जाएगी कि एक निश्चित तिथि तक, यदि वह चाहे तो, शिकायत के संबंध में अपना लिखित वक्तव्य सचिव को भेज दें । लिखित वक्तव्य प्रस्तुत करने की तिथि समाप्त होने के उपरान्त, समिति यदि आवश्यक समझे तो, जांच हेतु शिकायत करनें वाले व्यक्ति तथा उस व्यक्ति को, जिसके विरूद्ध शिकायत की गई हो, एक निश्चित तिथि, समय और स्थान पर अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए बुला सकेगी ।

(2) ऐसा व्यक्ति, यदि वह चाहे तो अधिवक्ता द्वारा भी अपना पक्ष समिति के समक्ष उपस्थित करा सकेगा ।

(3)...

फिर भी, समिति का यह निश्चित मत था कि वकील समिति के समक्ष समिति की पूर्व स्वीकृति से श्री गुप्ता के साथ उपस्थित हो सकते हैं। साथ ही, श्री गुप्ता को नियमानुसार शपथ भी दिलवानी थी।

कार्यप्रकिया के नियम 173 के अनुसार, जिसमें समिति द्वारा अपनाए जाने वाली सामान्य प्रकिया का उल्लेख है, यह कहा गया है कि :

"समिति किसी पक्ष का प्रतिनिधित्व उसके द्वारा नियुक्त तथा समिति द्वारा अनुमोदित अधिवक्ता से कराये जाने की अनुमति दे सकेगी । इसी प्रकार कोई गवाह समिति के समक्ष अपने द्वारा नियुक्त तथा समिति द्वारा अनुमोदित अधिवक्ता के साथ उपस्थित हो सकेगा ।"

अतः यह आवश्यक है कि वकील केवल बुलाए गए व्यक्ति के साथ ही आ सकता है और वह भी समिति की स्वीकृति से। समिति के निर्णय का पालन करते हुए श्री गुप्ता समिति की अगली बैठक में अपने वकील के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए।

संस्तुतियां

समिति को इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई शंका नहीं है कि माननीय नेता विपक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता द्वारा लिखा गया लेख भारत की सर्वोच्च एवं गौरवशाली विधायी संस्था पर एक गंभीर आघात था। हालांकि पूरा लेख ही आपत्तिजनक था किंतु इस लेख में श्री गुप्ता की निम्नलिखित टिप्पणी अवमानना की दृष्टि से असाधारण थी :

"देश का दुर्भाग्य है कि अनेक छोटी पार्टियों द्वारा चुने गए राज्यसभा के सदस्य बहुमत वाली लोकसभा को नीचा दिखाने के लिए राष्ट्रहित निर्णयों और नीतियों को राज्य सभा में अपने बहुमत के कारण पारित नहीं होने दे रहे हैं। इस कारण देश का विकास प्रभावित हो रहा है।"

"जब भी संसद चलती है, कार्यवाही में जानबूझकर गतिरोध पैदा किया जाता है। राज्यसभा को तो बदला लेने का हथियार बना दिया गया है। इसीलिए अभी आवश्यक हैं कि राज्यसभा को समाप्त करके सिर्फ लोकसभा को रहने दिया जाए।"

एक ऐसे अनुभवी राजनेता की ओर से जिसे माननीय अध्यक्ष महोदय की ओर से नेता विपक्ष का पद दिया गया हो ऐसी बात आने से समिति को नेता विपक्ष की लोकतांत्रिक तरीके से चुनी विधायिकाओं की कार्यप्रणाली एवं उनके विशेषाधिकारों के प्रति नासमझी पर निराशा हुई है। तथापि, उनके द्वारा बिना शर्त माफी को देखते हुए समिति की यह संस्तुति है कि उनके विरुद्ध चलाई जा रही विशेषाधिकार हनन एवं अवमानना की कार्यवाही को समाप्त किया जाए। इस आशा के साथ कि भविष्य में वे अपने पद एवं उस सदन की, जिसका वे प्रतिनिधित्व करते हैं, गरिमा का ध्यान रखेगें ।

सोमनाथ भारती
सभापति
विशेषाधिकार समिति

दिल्ली
17 जनवरी, 2017

ANNEXURE-A

राज्यसभा को समाप्त किया जाए

विजेन्द्र गुप्ता
नेता प्रतिपक्ष दिल्ली विधानसभा

पिछले 22 वर्ष से देश में बहुमत प्राप्त करके किसी एक पार्टी की केन्द्र में सरकार सत्ता में नहीं आई है। जो भी सरकारें आईं, वे गठबंधन की सरकारें थीं। यह गठबंधन चुनाव पूर्व और चुनाव के बाद किया गया। इस प्रकार यूपीए और एनडीए की सरकारें देश में कार्यरत रहीं। इस समय केन्द्र में 282 सीटें भाजपा ने जीतकर एनडीए की सरकार बनाई है। भारत में लोकसभा और राज्यसभा हैं। राज्यसभा को संविधान में राज्यों की परिषद कहा गया है। इसके सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। संविधान निर्माताओं ने राज्यसभा के गठन की परिकल्पना सिर्फ इसीलिए की थी कि देश की जो महान हस्तियां समय-समय पर रहें, उन्हें सम्मान देते हुए तथा उनके महत्वपूर्ण विचारों को राष्ट्रहित में उपयोग करने के लिए देश के राष्ट्रपति 12 सदस्यों को नामित करेंगे। शेष 238 सदस्य राज्यों के समानुपातिक प्रतिनिधित्व के तहत राज्यसभा के लिए चुने जायेंगे। यह चुनाव आम जनता न करके राज्यों के विधायकों एवं सांसदों द्वारा किया जाता है।

देश का दुर्भाग्य यह है कि अनेक छोटी पार्टियों द्वारा चुने गये राज्यसभा के सदस्य बहुमत वाली लोकसभा को नीचा दिखाने के लिए राष्ट्रहित के निर्णयों और नीतियों को राज्यसभा में अपने बहुमत के कारण पारित नहीं होने दे रहे हैं। इस कारण देश का विकास प्रभावित हो रहा है। जो कांग्रेस पार्टी मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल में जीएसटी का समर्थन करती थी, अब वही पार्टी विपक्ष में होने के कारण भाजपा को नीचा दिखाने के लिए जीएसटी का विरोध कर रही है। ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय का दिसम्बर, 2015 में दिया गया निर्णय बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। पांच सदस्यों की संविधान पीठ ने बहुमत से दिये गये अपने फैसले में कहा है कि भारत में एक ऐसी संघीय व्यवस्था है, जिसकी दुनिया की किसी भी राज्य व्यवस्था से तुलना नहीं की जा सकती है। भारत देश में विभिन्न राज्यों में इतनी विषमतायें हैं कि उन विषमताओं को साथ लेकर चलते हुए देश की एकता और अखंडता बनाये रखी जाए तथा देश का विकास भी प्रभावित न हो। हमारे यहां विभिन्न धर्म, भाषा, जाति और संस्कृति के लोग रहते हैं। आबादी में अमीरों और गरीबों में काफी अंतर है। ऐसे में देश में एकता बनाये रखने के लिए एक मजबूत केन्द्र सरकार की जरूरत है, जो कि भारत के विभिन्न राज्यों को अंदरूनी उथल-पुथल और बाहरी हमलों से बचाये। भारत के संविधान का अनुच्छेद 355 केन्द्र सरकार को यह अधिकार देता है कि वह प्रत्येक राज्य की अंदरूनी उपद्रव और बाहरी आक्रमण से सुरक्षा करे। केन्द्र सरकार का यह भी कर्त्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि राज्य सरकारें संविधान के दायरे में ही कार्य करें। ऐसे में राज्यों में केन्द्र सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही को कोई भी राज्य सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में दखल नहीं कह सकती है।

राज्यों की परिषद अर्थात राज्यसभा के विगत दो दशकों के इतिहास को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि जिस उद्देश्य से राज्यसभा का गठन किया गया था, वह उद्देश्य अब पूरा नहीं हो रहा है। देश के विकास में राज्यसभा बाधा उत्पन्न कर रही है। इसीलिए भारत के वित्तमंत्री श्री अरुण जेतली ने 8 जनवरी, 2016 को कलकत्ता के सेंट जेवियर्स कालेज में 'भारतीय लोकतंत्र का भविष्य' विषय पर एक संगोष्ठी में बोलते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि उच्च सदन अर्थात राज्यसभा की शक्तियों में कटौती की जाए और लोकसभा की शक्तियां बढ़ायी जाएं। उन्होंने कहा कि यह समय की जरूरत है कि जनता द्वारा चुने गये प्रतिनिधियों की पंचायत लोकसभा को सर्वोच्च सदन माना जाए और राज्यसभा को निम्न सदन बनाया जाए। मेरा निजी विचार है कि अब केन्द्र की एनडीए सरकार को बड़ा कदम उठाना चाहिए और राज्यसभा को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। राज्यसभा पिछले दरवाजे से सांसद चुनकर देश की नीतियों को प्रभावित करने का हथियार बन गयी है। धन-बल के सहारे से देश-विदेश की अनेक ताकतवर लाबियां अपने हित साधने के लिए अपने लोगों को राज्यसभा में भिजवाती हैं। यह भारत के लिए एक खतरनाक संकेत है। प्रबंधतंत्र का एक सिद्धांत है कि Don't solve the problem. Solve the problem maker. इस सिद्धांत को अब राज्यसभा के मामले में देश में लागू करना अनिवार्य हो गया है।

भारतीय संविधान को बनाने में डा. राजेन्द्र प्रसाद, सरदार बल्लभ भाई पटेल, जवाहर लाल नेहरू, भीम राव अम्बेडकर, कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, एम.ए. आयंगर, टी.टी. कृष्णमाचारी आदि अनेक विद्वानों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन लोगों ने काफी विचार-विमर्श करके देश को एक बढ़िया संविधान दिया। इसके बावजूद भारतीय संविधान में अब तक 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं। भविष्य में अनेक संशोधन संभावित हैं। यहां हमें अपने प्रथम राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसाद के उन शब्दों को याद करना चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा था- "संविधान कैसा भी हो। यह अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन देश चलाने वाले लोगों पर निर्भर करेगा कि इस संविधान का उपयोग देशहित में कैसे करते हैं। यदि हमारे सांसदगण और राष्ट्रनायक निष्ठावान, ईमानदार और सक्षम होंगे तो संविधान भी अच्छा होगा। यदि देश चलाने वाले लोग ही अच्छे नहीं हुए तो इतना सुन्दर संविधान भी देश का भला नहीं कर पायेगा।"

भारतीय संविधान सिर्फ अधिकारों की ही बात नहीं करता, बल्कि संविधान में 11 मूल कर्त्तव्य भी बताये गये हैं। इन कर्त्तव्यों का पालन किसी भी नागरिक के लिए आवश्यक है। संविधान कहता है कि उसके आदर्शों और संविधान द्वारा बनायी गयी सभी संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान देश के प्रत्येक नागरिक के लिए आवश्यक है। दुर्भाग्य है कि हमारे अनेक सांसदगण और विधायकगण ही अब न तो संविधान का आदर करते हैं और न ही संवैधानिक संस्थाओं के बारे में उनकी विचारधारा अच्छी है। आज संवैधानिक पदों और संसद समेत अनेक संस्थाओं के प्रति सम्मान घटा है। कई मामलों में संवैधानिक संस्थाओं की अवज्ञा करके उनकी खिल्ली उड़ाई जा रही है। इस मामले में दिल्ली राज्य का उदाहरण समीचीन है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने अनेक अवसरों पर संविधान और संवैधानिक संस्थाओं की अवहेलना करके संविधान को खुली चुनौती दी है। यह तो केन्द्र सरकार का बड़प्पन है कि वह दिल्ली राज्य की इन हरकतों को अभी तक बर्दाश्त कर रही है। इस समय लोकसभा और राज्यसभा में ऐसे लोग चुनकर आ गये हैं, जो सकारात्मक बातों और आम आदमी के हित के मुद्दों पर चर्चा से बचते हैं। जब भी संसद चलती है, कार्यवाही में जान-बूझकर गतिरोध पैदा किया जाता है। राज्यसभा को तो बदला लेने का हथियार बना दिया गया है। इसीलिए आवश्यक है कि अब राज्यसभा को समाप्त करके सिर्फ लोकसभा को रहने दिया जाए। संविधान में संशोधन करके लोकसभा की 20 प्रतिशत सीटों को विभिन्न पार्टियों के समानुपातिक अनुपात में प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षित किया जाए। पार्टियों द्वारा इन 20 प्रतिशत सीटों के लिए दिये गये नामों के परीक्षण का जिम्मा राष्ट्रपति महोदय पर छोड़ दिया जाए। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही इन नामों को लोकसभा में नामित करके उनका उपयोग राष्ट्रहित में किया जाए।

ANNEXURE B

MEMBER OF PARLIAMENT
(RAJYA SABHA)

K.C Tyagi, M.P(RS)

(18)

28th, January, 2016

To,

The Hon'ble Chairman,
Rajya Sabha

Subject:- Notice of Breach of Privilege and Contempt of House.

Dear Sir,

For last few weeks questions have been raised on the role and relevance of Rajya Sabha. There is a demand to bring necessary change in the Constitution to limit the powers and role of the Rajya Sabha. An earlier Notice against Shri Baijayant Panda, MP (LS) signed by six MPs of Rajya Sabha is already pending before you. I would like to draw your attention to the news item based on the statement made by Shri Raj Kumar Saini, M.P(LS) as appeared in the Tribune dated 19th January 2016. The latest in this series is another article by Shri Vijender Gupta, Member, Delhi Vidhan Sabha as appeared in the Punjab Kesari, dated 22nd January, 2016 wherein he has sought to underline the differences between two Houses of Parliament and has suggested abolition of Rajya Sabha.

We would like to draw your attention to the following excerpts from the Rajya Sabha at work 2006 edition.

- If any individual or authority violates or disregards any of the privileges, powers and immunities of the House or Members or Committees thereof, he may be punished for 'breach of privilege' or 'contempt of the House' (206, Rajya Sabha at Work)
- Misrepresenting the proceeding of Parliament have been found to be the gross violation of breach of privilege and contempt of the House. (Page 211, Rajya Sabha at Work).

29/1/16

29/1/16

1/2/16

MEMBER OF PARLIAMENT
(RAJYA SABHA)

17 (4)

- It is well established that speeches and writings of libels reflecting upon the proceedings of the House or any Member thereof, or relating to this services therein is a violation of the rights and privileges of the House. It has further been held that written imputations affecting a Member may amount to a breach of privilege without being libels under common law, provided such imputations concern the character or conduct of Member on that capacity. (Page 224, Rajya Sabha at Work).
- It is breach of privilege and contempt of the House to make speeches or to print or publish any libels reflecting on the proceedings of the House. (Page 225, Rajya Sabha at Work)

In the light of the above mentioned fact, I feel that the views expressed by Shri Vijender Gupta do constitute the 'breach of Privilege' and 'contempt of House'

Hence, I hereby move the notice for the 'breach of privilege' and 'contempt of House' by Shri Vijender Gupta, MLA, Delhi Vidhan Sabha.

Yours Sincerely,

(K.C. Tyagi)

Copy To:

1. **The Deputy Chairman, Rajya Sabha.**
2. **The Secretary-General, Rajya Sabha.**

ANNEXURE C

सत्यमेव जयते

सभापति, राज्य सभा
CHAIRMAN, RAJYA SABHA

D. O. No. RS. 35/3/2016– L **Dated the 19 February, 2016**

Hon'ble Speaker

On the 29th January, 2016, I received a notice of question of privilege from Shri K.C. Tyagi, Member, Rajya Sabha under rule 188 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Council of States against Shri Vijender Gupta, Leader of Opposition in the Delhi Legislative Assembly for allegedly casting aspersions on the Members of Rajya Sabha and calling for abolition of the Rajya Sabha in a news article published in a newspaper.

2. In view of the well settled principle that one House cannot claim or exercise any authority over a Member of the other House, the Committees of Privileges of Lok Sabha and Rajya Sabha in the Report of their joint sitting (1954) have laid down the following procedure to be followed in cases where a Member of one House is alleged to have committed a breach of privilege of the other House: -

(a) When a question of breach of privilege is raised in any House in which a member, officer or servant of the other House is involved, the Presiding Officer shall refer the case to the Presiding Officer of the other House, unless on hearing the member who raises the question or perusing any document where the complaint is based on a document, he is satisfied that no breach of privilege has been committed or the matter is too trivial to be taken notice of, in which case he may disallow the motion for breach of privilege.

(b) Upon the case being so referred, the Presiding Officer of the other House shall deal with the matter in the same way as if it were a case of breach of privilege of that House or of a member thereof.

(c) The Presiding Officer shall thereafter communicate to the Presiding Officer of the House where the question of privilege was originally raised a report about the enquiry, if any, and the action taken on the reference.

3. By convention, a similar procedure is followed when a complaint is made against a Member of a State Legislature by a Member of Parliament or *vice versa*.

766 22/2/16

Chairman Privilege Committee

22/02/2016

According to HC, RS "the matter seems to involve prima facie a question of privilege" Please obtain comments from hon'ble LoP.

S. P. 07/03/16
DS (Committee)

...2/-

सत्यमेव जयते

सभापति, राज्य सभा
CHAIRMAN, RAJYA SABHA

4. On perusing the documents on record, the matter seems to involve *prima facie* a question of privilege. I am, accordingly, referring this matter to you in terms of the procedure mentioned above, for further necessary action.

5. A copy of the notice of question of privilege given by the Member is sent herewith, along with enclosures.

Yours sincerely,

(M. Hamid Ansari)

Shri Ram Niwas Goel,
Speaker, Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi,
Room No.59, Vidhan Sabha,
Old Secretariat, Delhi-110054.

ANNEXURE D

विजेन्द्र गुप्ता
नेता-प्रतिपक्ष
दिल्ली विधान सभा
Vijender Gupta
Leader of Opposition
Delhi Legislative Assembly

सत्यमेव जयते

32, दिल्ली विधान सभा
पुराना सचिवालय, दिल्ली-1100!
32, Delhi Legislative Assembly,
Old Secretariat, Delhi-110 054
Telefax : 2389 0250, 2389 0059

To
The Hon'ble Chairman
Rajya Sabha
New Delhi

Date: 1st August, 2016

Hon'ble Chairman Sir:

Subject: Notice of Breach of Privilege forwarded from Rajya Sabha to the Delhi Legislative Assembly

I seek liberty to address this communication to Your Excellency in the following circumstances:

1. Taking objection to an article authored by me, published in Punjab Kesari, dated 22nd January, 2016. Hon'ble Sh. K.C. Tyagi, MP (RS) moved a notice of breach of privilege and contempt of house vide his letter dated 28.01.2016; acting there upon, the office of Hon'ble Chairman Rajya Sabha, opted to forward the same by way of reference to the Privilege Committee of Delhi Legislative Assembly.

2. Pursuant thereto, Delhi Legislative Assembly Secretariat, vide letter dated 07.03.2016 called upon me to submit my comments to the said privilege motion. I submitted my response, containing my apology as well, vide my letter dated 21.04.2016. (Annexure 'A' Enclosed)

3. I was hoping that given the fact that in respect of complaint of similar nature, i.e. questioning the powers of the august house of Rajya Sabha, against two other persons, namely, Shri Baijayant Panda, MP (LS) and Shri Raj Kumar Saini, MP (LS), made by Hon'ble Shri K.C. Tyagi, MP (RS), the proceedings were dropped without calling up on them to respond to the notice of breach of privilege and contempt of house, the notice against me would also be dropped, particularly when I had explained my position; reiterated my absolute belief and faith in the relevance and sanctity of Rajya Sabha as an institution and also had submitted my unconditional apology.

4. I therefore, take this opportunity to convey to Your Excellency that the aforementioned article was written with the intent of an academic discussion.As a member of the Delhi Legislative Assembly, I respect the dignity and authority of the House (Rajya Sabha) and in the course of participating in a contextual debate, I had absolutely no intention to disrespect the authority, power, sanctity and unparellel legacy of the Upper House (Rajya Sabha). I did not intend to make any derogatory remark either against the Hon'ble members of Rajya Sabha as well as Rajya Sabha as an institution. I am of the firm belief that in the context of Indian democracy, the framers of our constitution had carved out the

1817
01/8/16

1/8/16 01/08/16 1/8/16 AS(L) 1/8 DIR(L) 178 AA(L) L.S.

विजेन्द्र गुप्ता
नेता प्रतिपक्ष
दिल्ली विधान सभा
Vijender Gupta
Leader of Opposition
Delhi Legislative Assembly

सत्यमेव जयते

32, दिल्ली विधान सभा
पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054
32, Delhi Legislative Assembly,
Old Secretariat, Delhi-110 054
Telefax : 2389 0250, 2389 0059

Upper House, for a good reason and its contribution to the nation can never be undermined.

5. However, if any portion of my article published in Punjab Kesari had touched the sensitivity of the Hon'ble members or is perceived as questioning the dignity of the Upper House. I would like to express my unconditional apology for the same. I reiterate that I never intended to hurt the sentiments of the members of the Hon'ble Rajya Sabha. In this context, I take liberty to rely on the copy of the reply dated 21.04.2016 submitted by me before Delhi Legislative Assembly, to whom the matter was referred by way of convention.

6. I also take this opportunity to draw the kind attention of Your Excellency that in the past, whenever the person receiving the privilege notice has submitted an unqualified/ unconditional apology, Your Excellency and/or the delegates of Your Excellency and/or the Privilege Committee of this August House, have invariably accepted the same and dropped the proceedings. In this context, I may particularly refer to a similar proceeding brought against Hon'ble Finance Minister, Shri Arun Jaitley, which was dropped, immediately upon Shri. Arun Jaitely clarified his position. (Annexure 'B' Enclosed)

7. In the circumstances narrated above, I respectfully submit before Your Excellency to accept my unconditional apology and drop the notice of 'Breach of Privilege' and 'Contempt of the House', without waiting for the outcome of reference made to Delhi Legislative Assembly. I further submit that, additionally/ alternatively, advice Delhi Legislative Assembly accordingly.

Regards

Yours Faithfully:

Vijender Kumar

Vijender Gupta

ANNEXURE E

सत्यमेव जयते

सभापति, राज्य सभा
CHAIRMAN, RAJYA SABHA

D. O No. RS. 35/3/2016– L **August 12, 2016**

Hon'ble Speaker,

Please recall my earlier letter dated the 19th February, 2016, referring a matter of breach of privilege against Shri Vijender Gupta, Leader of Opposition in the Delhi Legislative Assembly for allegedly casting aspersions on the Members of Rajya Sabha and calling for abolition of the House in a newspaper article. Shri Vijender Gupta, *vide* his letter dated the 1st August, 2016 addressed to me has tendered an unconditional apology in the matter. Shri Gupta has also submitted that his comments dated the 21st April, 2016, to the Delhi Legislative Assembly Secretariat also, *inter alia*, contain his apology in the matter.

2. In this connection, I may like to draw your kind attention to the following recommendation contained in the paragraph 8 of the Report (1954) of the Joint Sittings of the Committees of Privileges of Lok Sabha and Rajya Sabha:

> "Para 8. *It is the intention of the Committees that if the offending Member, officer or servant tenders an apology to the Presiding Officer of the House in which the question of privilege is raised or the Presiding Officer of the other House to which the reference is made, no further action in the matter may be taken after such apology is tendered".*

3. In view of the express recommendation of the Committees of Lok Sabha and Rajya Sabha as mentioned above, the apology tendered by Shri Vijender Gupta, Leader of Opposition in Delhi Legislative Assembly has been accepted.

Yours sincerely,

(M. Hamid Ansari)

Hon'ble Shri Ram Niwas Goel,
Speaker, Legislative Assembly of Delhi,
Room No.59, Vidhan Sabha,
Old Secretariat, Delhi-110054.

For consideration

PL

23/11/2016

Privilege Committee

ANNEXURE F

विजेन्द्र गुप्ता
नेता प्रतिपक्ष
दिल्ली विधान सभा
Vijender Gupta
Leader of Opposition
Delhi Legislative Assembly

सत्यमेव जयते

32, दिल्ली विधान सभा
पुराना सचिवालय, दिल्ली-1
32, Delhi Legislative As
Old Secretariat, Delhi-1
Telefax : 2389 0250, 2389 0059

F.3/Secy./DLA/LOOP/2016/48
20/04/2016
21.04.2016

To

The Deputy Secretary
Delhi Legislative Assembly Secretary
NCT of Delhi (Privilege Branch)

Sub: Privilege matter/ reference from Hon'ble Chairman Rajya Sabha

Sir,

I am in receipt of your notice dated 07.03.2016 wherein you have sought my written comments on the notice of Breach of Privilege and contempt of House moved by Sh. K.C Tyagi, Hon'ble Member, Rajya Sabha pertaining to the article authored by me and published in Hindi Daily Punjab Kesari dated 22.01.2016.

At the very outset I deny each and every allegation raised against me in the said notice and further state that the privilege notice is bereft of any specific allegation as to how the article written by me amounts to a breach of privilege or contempt of the august House. Thus the said notice moved by Sh. K.C. Tyagi is misconceived, vague and questions a legitimate concern raised by me as well as various other public spirited citizens.

I wish to submit with utmost humility at my command that deliberation, discussion and public debate on issues which reside in the basic structure of the Constitutional freedom guaranteed to the citizens strike at the very heart of a democracy. Such a debate, therefore, should not be visited with such notices, especially if the same is based on empirical data. It must not be lost sight of that the evaluation of the performance of the Upper House in the article is based on documentary evidence like records of the proceedings of the house and the records pertaining to the bills introduced and debated in the house. It is pertinent to mention that all of the data is in public domain and therefore, the article is written on the basis of undisputed facts, available in public domain over which no privilege can lie or be claimed.

My article published in Punjab Kesari is a mere critique on the role of the Houses of the Parliament and a need for reforming the same. Such reforms have taken place in the United Kingdom where the powers of the upper and the lower houses qua each other have gone through a sea change. Prior to 1911, the House of Lords had the power to veto any bill passed by the House of Commons. But by way of the Parliament Act, 1911 the House of Lords which is the Upper House now only has a suspensory veto i.e. it can only effect a delay in the passing

Contd....2

F

विजेन्द्र गुप्ता
नेता प्रतिपक्ष
दिल्ली विधान सभा
Vijender Gupta
Leader of Opposition
Delhi Legislative Assembly

सत्यमेव जयते

32, दिल्ली विधान सभा
पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054
32, Delhi Legislative Assembly,
Old Secretariat, Delhi-110 054
Telefax : 2389 0250, 2389 0059

of a bill passed by the House of Commons and cannot veto the same. Thus, this paradigm shift in the United Kingdom Parliamentary system further underlines the need for a possible rethink of our Parliamentary system which draws inspiration from and is largely modeled on the said system.

It is pertinent that the power of Parliamentary Privilege should be used sparingly and in exceptional circumstances only and especially not in routine or in a manner which fetters or discourages raising of legitimate concerns *vis-a -vis* the democratic functioning of the country. To further highlight the same, I would rely on the following passage from Commentary on Constitution of India (2008) by Durga Das Basu at page 5128.

"But in determining whether in a particular case there has been a breach of privilege in any of the above sense, the House always guides itself by the following considerations:

(i) The Law of parliamentary privilege should not be administered in a way which would fetter or discourage the free expression of opinion or criticism , however prejudiced or exaggerated such opinions or criticism might be;

(ii) The process of parliamentary investigation should not be used in a way which would be inconsistent with the dignity of the House and give undue importance to irresponsible statements:

(iii) Care should be taken to distinguish legitimate political activity from illegitimate interference with the business or dignity of the House the House should take penal act on only when the right claimed as a privilege is absolutely necessary for the due execution of the powers of Parliament;

(iv) *In most case an unqualified apology is considered sufficient to excuse the contemner. particularly where the breach is "petty in scale". The House may, however. express its displeasure at the misconduct. while accepting the apology."*

The same is echoed in the word of Gladstone, which are as follows:

"Breach of privilege is a very wide net, and it would be very undesirable that notice should be taken in this House of all cases in which hon'ble members are unfairly criticized. Breach of privilege is not exactly to be defined. It is rather to be held in the air to be exercised on proper occasions when, in the opinion of the House. a fit case for its exercise occurs. To put this weapon unduly in force is to invite a combat upon unequal terms wheresoever and by whomsoever carried on...Indeed, it is absolutely necessary that there should be freedom of comment."

Contd...3

विजेन्द्र गुप्ता
नेता प्रतिपक्ष
दिल्ली विधान सभा
Vijender Gupta
Leader of Opposition
Delhi Legislative Assembly

सत्यमेव जयते

32, दिल्ली विधान सभा
पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054
32, Delhi Legislative Assembly,
Old Secretariat, Delhi-110 054
Telefax : 2389 0250, 2389 0059

18

Therefore, the Constitutionally bestowed power of the August House is to be used extremely sparingly and not to undermine or discourage expression of ideas and raising of legitimate concerns.

Additionally, the allegations made are vague and do not show even a prima facie case for drawing an inference in favour of breach of privilege and contempt of the house. Further. even otherwise, fair criticism of the actions of the public servants answerable to the citizens of the country cannot be termed as violation of any breach of privilege conferred on these public servants. And certainly use of privilege cannot be asserted to suppress and silence reasonable criticism and opinions, which is the foundation of a democracy.

Further, I am a social activist and have been working tirelessly for last several years advocating various social causes and reforms in the system. As such, I have been propagating ideas of social change in larger public interest and good faith. The article is only in the nature of an academic discussion and is written in good jest.

I may add that in writing the impugned article, I had absolutely no ill will or disrespect either towards the honourable institution of the Upper House or for that matter against any of its honourable members. I hold the both in my highest esteem. However, if any statement made by me in the article has inadvertently offended the sensibility of the Hon'ble House or any of its members in particular then I deem it appropriate to clarify that it was not written with the intention to defame or otherwise bring disrepute to any member of the house qua their performance as a member of the house.

Nonetheless, if the same has unwittingly hurt the sentiments of Shri. K.C. Tyagi, I have no hesitation in expressing my regret for the fact that he felt hurt.

However, in the event my reply is found deficient in any respect I may be called upon for further clarification.

Regards

Yours Sincerely

विजेन्द्र गुप्ता

(Vijender Gupta)